न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 51 / 2024	2024 / 13	28.02.2024	21.05.2024

1– रमेश पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी भगोल जाट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला खैरथल–तिजारा (राज०) सत्यमेव जयते

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर एल. आर. एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 302 / 2023 निर्णय दिनाक 24.01.2024

उपस्थित–

01. श्री अरूण पंडित –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 24.01.2024 जिसके द्वारा अपीलान्ट को सम्वत 2080 ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर की आराजी खसरा न0 32 रकबा 39 है0 किस्म गै0 मु0 नदी में से रकबा 2.00 है0 भूमि पर गैहु / सरसो की फसल काश्त किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये आराजी से बैदखली / 3 माह का सिविल कारावास व पैलन्टी कायम की गयी से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि खाता संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा न0 32 रकबा 2.00 है, ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर में स्थित है, आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड गै0 मु0 नदी है। उक्त आराजी पर अतिक्रमण किये जाने का नोटिस तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जारी किया गया है, उक्त नोटिस मिन अपीलान्ट को प्राप्त ही नही हुआ है, इस कारण से मिन अपीलांन्ट तहत अदालत के समक्ष उपस्थित नही हुआ। मिन अपीलान्ट की गैरमौजुदगी में मिन अपीलान्ट के विरूद्व आलोच्य आदेश पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कभी कब्जा नही किया गया है, न ही मौके पर फसल काश्त की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन अपीलान्ट के विरूद्व रिपोर्ट पेश की गयी है। मिन अपीलान्ट को पूर्व प्रकरण संख्या 138 / 2023 में तहत अदालत द्वारा कोई नोटिस धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत जारी नही किया गया है, न ही कोई जानकारी रही है। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा नही कर रखा है, तथा न ही कोई फसल काश्त की गयी है। दिगर लोगो द्वारा गै0 मु0 नदी की भूमि पर कब्जा कर फसल काश्त कर रखी हो तो उसकी मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी नही रही है। हल्का पटवारी द्वारा मिन अपीलान्ट के खिलाफ अतिक्रमण की रिपोर्ट दिगर लोगो से साजबाज होकर पेश की गयी है। तहत अदालत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट के नाम नोटिस जारी कर दिया तथा मिन अपीलान्ट को नोटिस की जानकारी होने पर तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर वास्ते जवाब हेतु तारीख पेशी नियत करने का निवेदन किया गया। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को गैरहाजिर मानते हुये प्रकरण में दिनाक 24.01.2024 को निर्णय पारित कर मिन अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये मौके से बैदखली की कार्यवाही व तीन माह का सिविल कारावास तथा 200 / रूपये पैलन्टी कायम की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनाक 19.02.2024 को हुयी जिस पर पारित निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया नकल दिनाक 20.02.2024 को प्राप्त हुयी। पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 के विरूद्व अपील किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद

21.05.2024
अति०जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

अधिनियम पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्टान ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2024 तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 26.02.2024 को पेश की गयी है, जो 1 माह दो दिवस पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 की जानकारी दिनाक 19.02.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि खाता संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा न0 32 रकबा 2.00 है, ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर पर अतिक्रमण किये जाने का नोटिस तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जारी किया गया है, उक्त नोटिस मिन अपीलान्ट को प्राप्त ही नही हुआ है, इस कारण से मिन अपीलांन्ट तहत अदालत के समक्ष उपस्थित नही हुआ। मिन अपीलान्ट की गैरमौजुदगी में मिन अपीलान्ट के विरूद्व आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का शीलंगाव द्वारा दिनाक 18.12.2023 को अतिक्रमी के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर सम्वत 2080 में आराजी खसरा न0 32 रकबा 39 है0 किस्म गैरमुमकीन नदी में से रकबा 2.00 है0 भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने बाबत पेश की गयी। तहत अदालत द्वारा प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर जारी नोटिस की पुख्ता तामील रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। अतिक्रमी मुताबिक आदेशिका दिनाक 09.01.2024 को तहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश नही करने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेश दिनाक 19.01.2024 नियत की गयी। नियत तिथि पर अतिक्रमी उपस्थित नही होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश दिनाक 24.01.2024 को नियत की गयी। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। वक्त बहस अपीलान्ट द्वारा दिनाक 13.05.2024 को एक शपथ–पत्र इस आशय का पेश किया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी पर जो भी अतिक्रमण रहा है, अपीलान्ट द्वारा छोड दिया गया है, तथा मौके पर कोई अतिक्रमण नही है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रण किया जाना स्वयं स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट केवल सजा की हद तक आंशिक स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट केवल सजा की हद तक आंशिक स्वीकार की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा तथा तहसीलदार मुण्डावर को निदेर्शित किया जाता है, की वर्णित आराजी की मौके की जॉच करे यदि मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है, तो तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 यथावत रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)